न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या– 761 / 2026
परिवाद वाद संख्या– 2312सी / 2024

मो0 नसीम अख्तर ..... आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थितिः–
वास्ते आवेदकः–श्री विरेन्द्र नाथ झा, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजनः–श्री राजानंद पासवान, विद्वान अपर लोक अभियोजक।
वास्ते परिवादिनीः–श्री मो0 नयरूज्जमा, विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

27-07-2026 आवेदक / अभियुक्त मो0 नसीम अख्तर, पिता–अब्दुल गनी की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो परिवाद वाद संख्या–2312सी / 2024, अंतर्गत धारा– 85, 115(2), 352 भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद परिवादिनी राहत परवीन के अनुसार यह है कि उसकी शादी दिनांक 11.09.2020 को मो0 नसीम अख्तर के साथ हुई थी। शादी में परिवादिनी की मॉ ने 1,55,000 रूपया नगद तथा घरेलू सामान दिया। अभियुक्तगण दहेज से खुश नहीं थे। दहेज में पुनः तीन लाख रूपया नगद, दो बीघा जमीन व एक मोटर साईकिल की मांग करने लगे। मांग पूरा नहीं होने पर अभियुक्तगण परिवादिनी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। परिवादिनी का पति दूसरा शादी भी कर लिया। अभियुक्तगण परिवादिनी का सारा सामान छिनकर उसे अपने घर से घसीट कर बाहर निकाल दिया। अभियोगिनी का पति उसकी मॉ से सात लाख रूपया भी छल प्रपंच से ठग कर ले लिया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को पारिवारिद दुश्मनी के कारण फंसाया गया है। आवेदक परिवादिनी से कभी भी दहेज नहीं मांगा है और न ही दहेज के लिए कभी भी प्रताड़ित किया है। आवेदक परिवादिनी अर्थात् अपनी पत्नी को पूर्ण गरिमा एवं सम्मान के साथ रखने को तैयार है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

लगातार.....

लगातार.....

27.07.2026 उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रासंगिक कांड की परिवाद वाद आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 85, 115(2), 352 भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदक अभियुक्त परिवाद का मुख्य अभियुक्त है। आवेदक परिवादिनी का पति है। अवर न्यायालय के द्वारा आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा 85, 115(2), 352 भा0न्या0सं0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। उभय पक्षों के मध्य मध्यस्थता हेतु अभिलेख को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया को भेजा गया था, जहां पर मध्यस्थता शुरू हुई। मध्यस्थता की निर्धारित तिथि 04 है, जिसमें वादी अर्थात आवेदक अभियुक्त की उपस्थिति शून्य है, जबकि द्वितीय पक्ष अर्थात् परिवादिनी की कुल उपस्थिति 04 है। वादी अर्थात आवेदक की उपस्थिति किसी एक भी निर्धारित तिथि को नहीं होने के कारण संयुक्त सत्र के साथ मध्यस्थता नहीं हुई है। मध्यस्थता को अप्रारंभ मानकर प्रतिवेदन माननीय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकारी, अररिया के माध्यम से समर्पित किया गया है। आज न्यायालय में परिवादिनी उपस्थित है तथा वह अपने पति के द्वारा उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की बात कह रही है। परिवाद पत्र के अनुसार पत्नी को गरिमा पूर्ण तरीके से रखने का कर्त्तव्य पति का है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अपनी पत्नी को दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। अतः ऐसी परिस्थिाति में आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)
Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्तगण है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा मामले को सत्य पाते हुए आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया है। कांड दैनिकी के पारा 05, 06, 07, 18, 19 व 20 में वादी, जख्मी एवं साक्षियों ने अपने–अपने साक्ष्य में तथाकथित घटना का समर्थन किये हैं। कांड दैनिकी के पारा 13